<u>विज्ञप्ति</u>

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या– 6221/एडमिन 'G-1'/2019, Allahabad Dated 14-05-2019 के अनुपालन में पारिवारिक न्यायालय, लखनऊ में परामर्शदाता की नियुक्त की जानी है, जिसके संबंध में शासनादेश संख्या–102/7–न्याय–2–2015–728–86--न्याय अनुभाग–2, अधीनस्थ न्यायालय,लखनऊ दिनांक 18.06.2015 द्वारा निम्न अर्हता प्राप्त व्यक्तियों से आवेदनपत्र आमंत्रित किये जाते है–

1– आवेदक समाजशास्त्र एवं मनो वैज्ञानिक विषय में से किसी एक विषय में डिक्री रखता हो और समाज सेवा का अनुभव हो, जो आवेदक सामाजिक कार्य में मास्टर डिक्री धारक हो और पारिवारिक काउन्सिल में दो वर्ष का अनुभव रखता है उसे वरीयता दी जायेगी।

2. आवेदक की आयु आवेदनपत्र प्रस्तुत करने की तिथि को 35 वर्ष से 65 वर्ष के मध्य हो।

3. परामर्शदाता का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।

4 परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं माना जायेगा और वह न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेगा।

5. नियुक्त परामर्शदाता को शासनादेश के अनुसार नियत मानदेय प्राप्त होगा।

जो पुरूष/महिला नियुक्त होने के इच्छुक है,वह अपना आवेदनपत्र अपनी शैक्षिक अनुभव प्रमाणपत्रों की छाया प्रति सहित दिनांक 06.06.2019 तक प्रशासनिक कार्यालय,जिला न्यायालय, लखनऊ में पंजीकृत डाक से अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रेषित कर सकते है।

20/5/19

प्रधान न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय,लखनऊ